"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-4/2007/13/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विद्युत निरीक्षकालय (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

(1) अनुसूची-एक में सरल क्र. 5 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त: स्थापित की जाए, अर्थात् :—

सरल क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	मुख्य विद्युत शुल्क अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	रु. 8000-275-13500

(2) अनुसूची-दो के कॉलम क्र. (2) में, सरल क्र. 5 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम	पद की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	
			प्रतियोगिता परीक्षा से सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ऊर्जा विभाग	6-मुख्य विद्युत शुल्क अधिकारी	01	-	100%

(3) अनुसूची-चार के कॉलम क्र. 2 में, शब्द "विद्युत शुल्क लेखा परीक्षक" के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कॉलम (3) में पदोन्नति के लिये कॉलम (2) से पदोन्नति हेतु अपेक्षित सेवा की न्यूनतम अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (देखिये नियम 13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ऊर्जा विभाग	मुख्य विद्युत लेखा परीक्षक	मुख्य विद्युत शुल्क अधिकारी	5 वर्ष	तदैव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2010

क्रमांक एफ 1-4/2007/13/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 मार्च, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 25th March 2010

NOTIFICATION

No. F 1-4/2007/13/1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendments in Chhattisgarh Electrical Inspectorate

(Gazetted) Recruitment Rule, 2008 namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

(1) In Schedule-I, after serial No. 5, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

Sr. No.	Name of the post included in the service	No. of Post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Chief Electricity Duty Officer	01	Class-II	Rs. 8000-275-13500

(2) In column No. (2) of Schedule-II, after serial No. 5, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

Name of Department	Name of Service and Post	Total No. of Post	Percentage of Posts to be filled	
			By Direct Recruitment Through Competitive Examination	By Promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Department of Energy	6-Cheif Electricity Duty Officer	01	-	100%

(3) In column No. (2) of Schedule-IV, after the words "Electricity Duty Auditor", the following words and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

Name of Department	Name of the Post from which Promotion is to be made	Name of the Post to which Promotion is to be made	For Promotion to column (3) from column (2) minimum period of service required for Promotion	Name of Member of the Departmental Promotion Committee (vide rule-13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Department of Energy	Chief Electricity Auditor	Chief Electricity Duty Officer	5 Years	--do--

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
UMESH KUMAR AGRAWAL, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.